Amit Singh Negi
Secretary

Government of Uttarakhand

Department of Medical, Health and Family Welfare and Medical Education
Government of Uttarakhand
4 -Subhash Road, Dehradun

Letter No. 484/sec-MH/PS/2020
Dated 25 June. 2020

सेवा में

1. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।

विषयः डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि विगत वर्षो से डेंगू रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि माह जून से नवम्बर तक का समय डेंगू वायरस के संक्रमण के लिये अनुकूल होता है। इसी क्रम में आगामी माहों में डेंगू रोग के प्रसारित होने की सम्भावना को देखते हुए पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 438/sec-MH/2020 दिनांक 04/06/2020 (संलग्न) द्वारा समस्त जनपदों में डेंगू रोग के समयान्तर्गत व प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु एडवायजरी प्रेषित की गई थी।

उपरोक्त के क्रम में डेंगू रोग रोकथाम किये जाने हेतु पुनः दिशा निर्देश संलग्न है। अतः आप डेंगू रोग की रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें:

1. राज्य में डेंगू रोग को Notifiable Disease घोषित करने की अधिसूचना "उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेगू) विनियम 2019" दिनांक 27 सितम्बर 2019 (संलग्न) को जारी की जा चुकी है जिसमें निहित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों का जनपद स्तर पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
2. डेंगू रोग पर रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ब्लाक वार Micro Plan बनाकर कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें व उक्त माइक्रोप्लान राज्य एन0वी0बी0डी0सी0पी0 यूनिट को प्रेषित किये जायें।
3. नगर निगमों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाये ताकि डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।
4. डेंगू रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) एक कारगर व उपयुक्त उपाय है, जिसके लिए गत वर्ष की भांति डेंगू संवेदनशील जनपदो मे आशाओं व निगर निगम/नगर पालिका के कर्मचारी के सहयोग से लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियों को अभियान की तरह संचालित किया जाये।
5. डेंगू रोग को महामारी का रूप लेने से रोकने के लिए नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार फॉगिंग की जाये।
6. जनजागरूकता व जनसहभागिता हेतु आई0ई0सी0 संसाधनो का समुचित व समयान्तर्गत उपयोग करें।
7. डेंगू रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों जैसे नगर निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य एवं शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम आदि के सहयोग व अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जनपद स्तर पर बैठकों का समय से आयोजन किया जाए व उनके कार्यवृत राज्य एन0वी0बी0डी0सी0पी0 यूनिट को प्रेषित किये जायें।
8. डेंगू के उपचार एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार की गाईडलाइन "National Guidelines for Clinical Management of Dengue fever" (संलग्न) को समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालायों/चिकित्सकों को आवश्यक कार्यवाहियों हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. जनपदों के चिकित्सालयों (जिला/बेस व मेडिकल कालेज) में भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे पथक डेंग आईसोलेशन वार्ड तैयार कर मच्छरदानी (LLIN) यक्त पर्याप्त बेड की

Scanned with CamScanner

उपलब्धता, Standard Case Management आदि सुनिश्चित करें एवं डेंगू आइसोलेशन वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामित करें।

10. डेंगू पीडित गम्भीर रोगियों (DHF/DSS) हेतु Platelets की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
11. डेंगू जांच केन्द्रो मे समय से आवश्यक सामग्री जैसे ELISA जांच किट व अन्य जांच सामग्री की उपलब्घता सुनिश्चित की जाये।
12. डेंगू रोगियों की शुरूआती चरण मे पहचान हेतु फीवर सर्वे किये जायें, लक्षणों के आधार पर डेंगू रोग की संदिग्धता होने पर जांच की जाये।
13. डेंगू रोगी पाये जाने की स्थिति में रोगी के घर के आस–पास लगभग 50 घरों की परिधि में आवश्यक रूप से Space/Focal Spray कराने के साथ साथ जनपदीय आर0आर0टी0 द्वारा क्षेत्र में सघन फीवर सर्विलेन्स एवं लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) कराएँ।
14. डेंगू रोग की रोकथाम के लिए आम जनमानस का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है व जन जागरूकता ही एक कारगर उपाय है। अतः आप अपने स्तर से प्रभावी प्रचार प्रसार करवायें। प्रचार प्रसार सामग्री की साफ्ट प्रति संलग्न।
15. स्वास्थ्य विभाग व आई0एम0ए0 प्रतिनिधियों/निजी चिकित्सालयों/पैथोलोजी लैबों के मध्य समन्वय बैठक (CME Meeting/Workshop) की जाये ताकि आमजन में डेंगू रोग के प्रति व्यापत भ्रान्ति/भय को दूर किया जा सके।
16. किसी भी प्रकार की आकस्मिक/आपातकालीन आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला कार्ययोजना मे भी डेंगू के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये।
17. मीडिया को डेंगू सम्बन्धित संवेदनशील सूचनायें व सकारात्मक जानकारी सम्बोधित करने हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के किसी एक अधिकारी को Media Spokes person अधिकृत किया जाए।
18. जनमानस को डेंगू सम्बन्धित जागरूकता एवं समुचित जानकारी प्रदान करने के लिये राज्य मुख्यालय पर Integrated Helpline क्रियाशील है जिसका टोल फ्री नं० 104 है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर डेंगू के संक्रमण काल (माह जून से नवम्बर तक) के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित कर उक्त दूरभाष न0 से राज्य एन0वी0बी0डी0सी0पी0 यूनिट को अवगत करायें।
19. डेंगू की दैनिक रिर्पोट (केस शून्य होने पर भी) संलग्न प्रारूप पर सायं 4:00 बजे तक नियमित रूप से राज्य स्तर पर uknvbdcp@gmail.com पर E-mail भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार प्रतिदिन डेंगू की स्थिति से केन्द्र को अवगत कराया जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)

पत्र संख्या : **तददिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव प्रभारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी एन0वी0बी0डी0सी0पी0।

(अमित सिंह नेगी)

Scanned with CamScanner